न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्या 160/2012 (रैफरैन्स–82 एल आर एक्ट)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।

प्रार्थी

बनाम

भंकोली पुत्र पपईया जाति गूजर निवासी गांगरौली तहसील वैर जिला भरतपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त करने आवंटन/नियमन व नामान्तरकरण संख्या 212 आराजी खसरा नम्बर 678/1 रकबा 1–00 वीघा गै0मु0 नदी वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थितः– 1. पैरोकार सरकार
2. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अप्रार्थी

दिनांक 2.11.2017

निर्णय

प्रार्थी तहसीलदार वैर (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 82 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् निरस्त करने आवंटन व नामान्तकरण 212 आराजी खसरा नम्बर 678/1 रकबा 1.00 वीघा किस्म गैर मुमकिन नदी वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर जिला भरतपुर विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है। बाद न्यायिक कार्यवाही उभयपक्षकारान की नियत दिनांक को बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 678/1 रकबा 1.00 वीघा किस्म जमीन जमीन वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर जो सार्वजनिक उपयोग की है उक्त रकबा किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज है। सार्वजनिक उपयोग की गैरमुमकिन पोखर/नदी आराजी का प्रचलित कानून के प्रावधानो के विरूद्व आवटंन /नियमन किया गया है। जबकि ऐसी भूमि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत वर्जित भूमि है जिसका आवटंन/नियमन किया जाना विधि विरूद्व है। अप्रार्थी को सम्बत 2023 में एक वर्ष के लिये अस्थायी आवंटन किया था बाद में सम्बर 2024 में पुनः एक साल के लिये अस्थाई आवंटन किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से अस्थायी आवंटन के आधार पर ही राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (सज.)

है। अस्थायी आवंटन आदेश संलग्न नहीं है किन्तु संलग्न रिकार्ड नकल जमाबन्दी 2022 एवं नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2023–2026 एवं नकल नामान्तरकरण संख्या 212 खातेदारी एवं नकल जमाबन्दी सम्बत 2067–70 से यह साबित होता है कि उक्त आवंटन अस्थाई था एवं गैर मुमकिन नदी पर किया गया था जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है एवं उसके आधार पर खोले गये खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 212 भी एक आधारहीन आदेश के तहत खोले जाने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। जनहित रिट याचिका 1536/2003 – अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय राजस्थान के उच्च न्यायालय के दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण मे सार्वजनिक उपयोग की आराजी गैर मुमकिन नदी/पोखर के किये गये आवटंन एव नियमन को विधि विरूद्व माना गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मंण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये रैफरेंस में अंकित सभी तथ्यों को रिकार्ड एवं मौके से विपरीत होना जाहिर करते हुये अपनी बहस तर्कों में मुख्य कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 678/1 रकबा 1.00 वीघा वाकै ग्राम गांगरौली की आराजी अप्रार्थी को नियमानुसार आवंटित की गई थी। वक्त एलोटमेंन्ट अप्रार्थी ने मेहनत मसक्कत करके तन मन धन से काबिल काश्त बनाया है। तहत अदालत द्वारा प्रस्तुत रैफरेंस कानून के कतई विपरीत है। जो खातेदारी का दाखिल खारिज अप्रार्थी के हक में स्वीकार किया गया है वह सक्षम अधिकारी द्वारा मुताबिक कानून मुझ अप्रार्थी को हकूक खातेदारी दिये जा चुके है। अब अप्रार्थी के हक में दाखिल खारिज तस्दीक हुये भी काफी लम्बा अर्सा हो चुका है। इसके अलावा यह आराजी दफा 16 टीनेन्सी एक्ट से भी प्रभावित नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के हक में खोला गया नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता और प्रस्तुत रैफरेंस खारिज योग्य रहता है। अप्रार्थी गूजर जाति का गरीब भूमिहीन व्यक्ति होने के कारण नियमानुसार एलोटमेन्ट रूल्स के अंतर्गत आवंटन किया गया था। अकारण अर्से दराज पुराने नियमानुसार आवंटन को रैफरेंस के माध्यम से निरस्त किया जाना न्यायपूर्ण नहीं है। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण के परिवारों को पालन पोषण होता है यदि इस आधारहीन एवं तथ्यों से परे रैफरेंस को स्वीकार किया गया तो न्याय के विपरीत तो होगा ही साथ ही हम अप्रार्थीगण के परिवारों का जीवन यापन का सहारा भी खतम हो जायेगा । ऐसी स्थिति में रैफरेंस खारिज किया जावे।

हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 678/1 रकबा 1.00 वीघा किस्म गैर मुमकिन नदी वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर जो सार्वजनिक उपयोग की है । संलग्न रिकार्ड नकल जमाबन्दी 2022 एवं नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2023–2026 एवं नकल नामान्तरकरण संख्या 212 खातेदारी एवं नकल जमाबन्दी सम्बत 2067–70 से यह साबित होता कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी अंकित है। जिसका आवंटन भी विधि विरूद्ध है तथा उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 212 भी एक आधारहीन आदेश के तहत खोले जाने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। वहालत मौजूदा रिकार्ड से उक्त विवादित आराजी किस्म गैर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (सज.)

तहसील–वैर

तहसील–वैर (भरतपुर)

न नदी होना स्पष्ट प्रमाणित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 अन्तर्गत ऐसी सार्वजनिक भूमि का आवटन/नियमन किया जाना वर्जित है। जनहित रिट याचिका 1536/2003 अब्दुल रहमान सरकार मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पारित निर्णय अनुसार सार्वजनिक उपयोग कि भूमि पर किये आवटंन / नियमन को विधि विरूद्ध मानते हुये भूमि को वापिस सार्वजनिक उपयोग मे भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के निर्देश पारित किये गये है। जब आवंटन ही प्रचलित कानून के प्रावधानो के विरूद्ध एवं निरस्त योग्य रहता है तो उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण गैरखातेदारी/खातेदारी निरस्त योग्य रहते है। इसके अलावा प्रचलित कानून के प्रावधानो के विपरित किये गये इन्द्राज/आवंटन/ नियमन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। पैरोकार सरकार के कथनो से हम सहमत है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अधीन इस निवेदन के साथ प्रेषित की जाती है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 678/1 रकबा 1.00 किस्म गैर मुमकिन नदी वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर का अप्रार्थी को किया गया अस्थाई आवंटन/नियमन निरस्त किया जावे तथा अस्थाई आवंटन के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण सं0 212 शून्य होने के कारण निरस्त किये जावे। तथा विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड मे पूर्व की भांति गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे । निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। असल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 2.11.2017 को सुनाया गया।

2/11/17

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

तहसील–वैर

तहसील–वैर (भरतपुर)